कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) की सिफ़ारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2019 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्याँकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

- 31 मार्च 2019 को, सांवधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश (ऐतिहासिक मूल्य पर) का 0.004 से 0.71 *प्रतिशत* का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.25 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

[प्रस्तर 1.8.2]

- 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 659.48 करोड़ की अग्रिम धनराशि दी। इसी अवधि में सरकार द्वारा ₹ 168.05 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया। वसूली की राशि 2014-15 में वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि और वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की धनराशि के चार *प्रतिशत* से प्रत्येक वर्ष घटते हुए 2018-19 में दो *प्रतिशत* से कम हो गई। चालू वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान धनराशि ₹ 26.91 करोड़ थी जो

31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों (₹ 1,926.54 करोड़) का 1.40 *प्रतिशत* थी। क्योंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं।

[प्रस्तर 1.8.4]

- वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय दायित्वों से स रा घ उ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 23.26 *प्रतिशत* की तुलना में 23.60 *प्रतिशत* था। वर्ष के लिए यह अनुपात चौ वि आ के निर्धारित मापदण्ड (22.56 *प्रतिशत*) से 1.04 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था।

[प्रस्तर 1.9.2]

- लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किये जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹ 2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि से ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 *प्रतिशत* के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 *प्रतिशत* हो गयी।

[प्रस्तर 1.10 (ii)]

- वर्ष 2014-15 में राज्य को ₹ 917 करोड़ राजस्व घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2015-16 में खराब स्थिति तक ₹ 1,852 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम हुआ। तथापि, राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से ह्रासित होकर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 *प्रतिशत*) तक कम हुआ।

[प्रस्तर 1.11.1]

- वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 *प्रतिशत*) था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.46 *प्रतिशत*) हो गया, परन्तु वर्ष 2016-17 में यह घटकर ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.80 *प्रतिशत*) हो गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में यह फिर बढ़कर ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.56 *प्रतिशत*) हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 2.98 *प्रतिशत*) था, जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.25 *प्रतिशत* से कम था। राज्य अपने पूँजीगत व्यय, जो कुल व्यय (2014-15) के 18.8 *प्रतिशत* से घटकर 16 *प्रतिशत* (2018-19) हो गया है, को बढ़ाने के

लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थिति का उपयोग करते हुए और अधिक उधार लेने पर विचार कर सकता है।

[प्रस्तर 1.11.1]

- वर्ष 2014-15 में प्राथमिक घाटा ₹ 3,420 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,154 करोड़ हो गया और वर्ष 2016-17 में यह घाटा ₹ 1,744 करोड़ रह गया। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,948 करोड़ से घटकर चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,845 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसका प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2017-18 के ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 3,495 करोड़ हो गया। प्राथमिक राजस्व आधिक्य से ब्याज दायित्वों का भुगतान, पिछले वर्ष के 50 *प्रतिशत* की तुलना में इस वर्ष 78 *प्रतिशत* करने में सक्षम था।

[प्रस्तर 1.11.1]

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 48,037.49 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 1,358.35 का सम्पूर्ण आधिक्य हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत दो अनुदानों तथा पूँजीगत भारित अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 8,464.98 करोड़ का आधिक्य था एवं 31 अनुदानों एवं आठ विनियोगों में ₹ 7,106.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 8,464.98 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक की अवधि से सम्बन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 27,194.15 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल से नियमित नहीं किया गया है।

[प्रस्तर 2.2, 2.3.1, 2.3.2 एवं 2.3.3]

- वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 107.08 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2019 तक अप्रतिपूर्तित रही।

[प्रस्तर 2.6]

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

- विभागीय अधिकारियों ने, विशेष उद्देश्यों के लिए मार्च 2018 तक दिये गये अनुदानों ₹ 37.66 करोड़ के 25 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने हेतु देय) को

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

[प्रस्तर 3.1]

- व्यय एवं प्राप्तियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज की गईं, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

[प्रस्तर 3.4]

- सरकार ने वित्तीय लेखों में उचित प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं कराया है जैसा कि आई जी ए एस-1 (सरकार द्वारा दी गयी गारंटी), आई जी ए एस-2 (सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण) और आई जी ए एस-3 (सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम) के अंतर्गत आवश्यक है।

[प्रस्तर 3.9]